

कांस्टेबल (जी.डी.) परीक्षा 2011 के अभ्यर्थियों के लिए सूचना

कांस्टेबल (जी.डी.) 2011 के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-07-2014 के अनुपालन में आयोग मुख्यालय द्वारा दिनांक 04-02-2015 एवं दिनांक 02-06-2015 को घोषित/प्रकाशित परिणाम में आयोग के मध्य क्षेत्र से सम्बन्धित जिन अभ्यर्थियों के नाम उल्लेखित हैं (चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.ssc.nic.in के होम पेज के बायीं ओर SSC old website लिंक पर उपलब्ध हैं). ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनका नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में है और जिन्होंने अभी तक अपने दस्तावेज इस कार्यालय में जमा नहीं किये हैं, दिनांक 30-12-2016 तक अपने निम्नलिखित दस्तावेज इस कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा कर दें, इसके पश्चात उनका कोई आवेदन नामांकन हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा.

1. हाईस्कूल अंक पत्र/ प्रमाण पत्र
2. निवास प्रमाण पत्र
3. जाति प्रमाण पत्र (2011 के मेडिकल के दिन के पहले का)
4. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) की प्रति आदि

सभी अभ्यर्थियों को पुनः यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 30-12-2016 के पश्चात इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2. कांस्टेबल परीक्षा 2011 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य में नक्सल/उग्रवाटी, सीमावर्ती एवं सामान्य जिलों में श्रेणीवार (category wise) कट ऑफ मार्क्स का विवरण निम्नवत है -

अंतिम परीक्षा परिणाम का कट ऑफ मार्क्स (पुरुष अभ्यर्थियों हेतु)

राज्य कोड	राज्य का नाम	UR	OBC	SC	ST	Ex-S
33	उत्तर प्रदेश	62	58	33	35	35
33	उत्तर प्रदेश (नक्सल)	45	40	33	39	-
33	उत्तर प्रदेश (सीमावर्ती)	35	33	33	33	-
05	बिहार	35	33	33	33	-
05	बिहार (नक्सल)	40	36	34	36	-
05	बिहार (सीमावर्ती)	38	45	34	39	-

अंतिम परीक्षा परिणाम का कट ऑफ मार्क्स (महिला अभ्यर्थियों हेतु)

राज्य कोड	राज्य का नाम	UR	OBC	SC	ST
33	उत्तर प्रदेश	63 (BSF), 67 (CISF), 65 (CRPF)	59 (BSF), 61 (CISF), 62 (CRPF)	46 (BSF), 49 (CISF), 55 (CRPF)	34 (CISF)
33	उत्तर प्रदेश (नक्सल)	63 (CISF)	-	47 (CISF)	-
05	बिहार	47 (BSF), 57 (CISF), 64 (CRPF)	36 (BSF), 45 (CISF), 43 (CRPF)	43 (CISF)	-
05	बिहार (नक्सल)	48 (BSF), 58 (CISF), 49 (CRPF)	40 (BSF), 43 (CISF), 80 (CRPF)	44 (CISF)	-

उक्त उल्लेखित कट ऑफ मार्क्स के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा जिनके प्राप्तांक सम्बन्धित श्रेणी में कट ऑफ मार्क्स के बराबर या ज्यादा हैं। ऐसे किसी भी अभ्यर्थी का कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा, जिनके प्राप्तांक सम्बन्धित श्रेणी में कट ऑफ से कम हैं।

क्षेत्रीय निदेशक (मध्य क्षेत्र)